अप्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 3668/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 15501/2021 से उत्पन्न)

पवन चौबे ..... अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ..... प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी

अनुमति प्रदान की गई।

यह अपील अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 18.08.2021 के विरूद्ध है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दायर रिट याचिका डब्ल्यू सी संख्या 27656/2018 है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 4 के उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

हमारे समक्ष अपीलार्थी उचित मूल्य की दुकान के लिए लाइसेंस का अनुवर्ती आवंटी है। अपीलार्थी उचित मूल्य की दुकान चलाता है। अपीलार्थी ने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कथित रिट याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किए जाने के लिए आवेदन किया था। उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी प्राधिकारियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी संख्या 4 के पिछले आचरण के आधार पर लाइसेंस को पूरी तरह से रद्द करने के लिए आगे बढ़े थे क्योंकि उनका लाइसेंस इससे पहले 2013–2014 में रद्द कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय का विचार था कि एक बार 2013–14 में निलंबन के आदेश को निरस्त करने के बाद, लाइसेंस को उसके पिछले आचरण के कारण रद्द नहीं किया जा सकता था, लेकिन केवल नई सामग्री के आधार पर जिस पर संबंधित प्राधिकारी चर्चा करने के लिए बाध्य था और आरोपों को साबित करने की आवश्यकता थी।ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ने प्रत्यर्थी संख्या 4 के खिलाफ या तो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष या उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपों को साबित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्राधिकारियों ने अपीलकर्ता के पिछले आचरण के आधार पर लाइसेंस रद्द करने के जाल में फंस गए थे।

यह अपीलकर्ता का मामला है कि अपीलकर्ता को पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था और उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस रद्द करने से पहले सुनवाई की जानी चाहिए थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आक्षेपित आदेश जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 4 के उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस को रद्द करने का आदेश रद्द कर दिया गया है जिससे उचित मूल्य दुकान लाइसेंस के बाद के आवंटी के रूप में अपीलकर्ता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हमारा ध्यान पूनम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2016) 2 SCC 779 में इस न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है। उक्त निर्णय पर अवलम्ब लेते हुए प्रत्यर्थी क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी को सुने जाने की आवश्यकता नहीं है।

उसके पास मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं था।

पूनम (उपरोक्त) मामले में बाद के आवंटियों को वास्तव में सभी चरणों में सुना गया था।न्यायालय ने जो अवधारित किया वह यह था कि पश्चातवर्ती आवंटी अपने अधिकार को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने का प्रयास कर रही थी।उन्होंने तर्क दिया कि उनके पास एक स्वतंत्र कानूनी अधिकार है।इस न्यायालय ने पाया कि यह मानना बहुत मुश्किल था कि उसके पास एक स्वतंत्र कानूनी अधिकार था।

सुमित्रा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (सिविल अपील संख्या 9363–9364/2014) मामले में माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और माननीय न्यायमूर्ति एन. वी. रमण (तत्कालीन न्यायमूर्ति के रूप में) की पीठ ने दिनांक 08.10.2014 को एक आदेश पारित किया, जिसका प्रासंगिक सन्दर्भ नीचे उद्धृत किया गया है:–

> "अपीलार्थी ने बाद में आबंटित होने के कारण 17.10.2008 को रिट याचिका में अभियोग के लिए एक आवेदन दायर किया। उस आवेदन पर न तो विचार किया गया और न ही अनुमति दी गई।
>
> xxx xxx xxx
>
> हमारी राय में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया और कहा कि उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या 6 का लाइसेंस बहाल करने से पहले अपीलार्थी को सुनना चाहिए था क्योंकि अपीलार्थी बाद में आबंटित था और उसके अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 6 के लाइसेंस की बहाली से प्रभावित थे।हम

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता से पूरी तरह सहमत हैं।हमारी राय में, उच्च न्यायालय अपीलार्थी को सुने बिना प्रत्यर्थी संख्या 6 का लाइसेंस बहाल नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसे आदेश से उसके अधिकार निश्चित रूप से प्रभावित हुए थे।"

भले ही बाद के आबंटिती के पास स्वतंत्र अधिकार न हो, फिर भी उसे सुनवाई का अधिकार है और रद्दीकरण के आदेश का बचाव करने के लिए निवेदन करने का अधिकार है।

यह सच है कि अपीलार्थी की नियुक्ति के आदेश में कहा गया है कि आदेश अदालत में लंबित कार्यवाही के परिणाम के अधीन है।यह अपीलकर्ता को यह दिखाने की कोशिश करके कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के खिलाफ रद्द करने का आदेश सही ढंग से पारित किया गया था, कार्यवाही में उपस्थित होने और लड़ने से अयोग्य नहीं करता है।

तदनुसार, अपील को अनुमति दी जाती है।आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है।

अपीलार्थी को रिट कार्यवाहियों में पक्षकार के रूप में माना जाएगा। अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद रिट कार्यवाहियों का निस्तारण किया जाएगा।यह देखते हुए कि कार्यवाही लंबे समय से लंबित है और हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका का निस्तारण करें।

... ...

(न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी)

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

... ...

(न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना)

नई दिल्ली;

06 मई, 2022

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"